

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर डेडर

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कैम्प डेडर

-: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता डुरूस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पदवारी सीतमर व भू.अ.नि. डेडर
 की रिपोर्ट तथा तहसीलदार डेडर / नायब तहसीलदार डेडर की अनुशंसा के आधार
 पर राजस्थान भू- राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुरूप में ग्राम सीतमर तहसील डेडर व
डेडर की जमाबन्दी सम्बन्ध 2024-22 में खाता संख्या 18 में वर्तमान में
 दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	सीतमर	18	निकास	वामनिकास

डेडर
 प्रभारी अधिकारी सिविल
 पीठासीन अधिकारी सुनू
 पंचायत समिति सुनू
 लोक अदालत (सुनू)
 उपखण्ड अधिकारी एवं
 पदेन सहा. कलक्टर

क्रमांक :- 51

दिनांक :- 27/5/22

- तहसीलदार डेडर को भेजकर लेख कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर धारणा रिपोर्ट भिजवाई।
- प्रार्थी को वामनिकास को सूचना दी।
- रहित पत्रावली।

डेडर
 प्रभारी अधिकारी सिविल
 पीठासीन अधिकारी सुनू
 पंचायत समिति सुनू
 लोक अदालत (सुनू)
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा. कलक्टर